न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 39/2021
तारीख दायर : 14.06.2021

अनवान

1. शकीना बानू पत्नि सत्तार जाति खलीफा (मुसलमान) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
2. सिकन्दर पुत्र सत्तार जाति खलीफा (मुसलमान) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
3. सलीम पुत्र सत्तार जाति खलीफा (मुसलमान) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
4. फिरोज पुत्र सत्तार जाति खलीफा (मुसलमान) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
5. शमीम पुत्र सत्तार जाति खलीफा (मुसलमान) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
6. सोनू पुत्री सत्तार जाति खलीफा (मुसलमान) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण...

बनाम

1. खाजन बानू पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान (खलीफा) निवासी बीगोद।
2. जाकीर हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान (खलीफा) निवासी बीगोद।
3. साबिर हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान (खलीफा) निवासी बीगोद।
4. शाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान (खलीफा) निवासी बीगोद।
5. शमीम बानू पुत्री अब्दुल रहमान जाति मुसलमान (खलीफा) निवासी बीगोद।
6. मोहम्मद युनुस पुत्र अयुब जाति मुसलमान (खलीफा) निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

अप्रार्थीगण.....

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री महेशचन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.01.2023

प्रार्थीगण ने अपने मुल वादपत्र के साथ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे सीगे की रिपोर्ट बाबत् प्रार्थना पत्र दर्ज योग्य की आने पर प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर मुतफरकात् राजस्व किये जाने के आदेश दिये गये और विपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार मौजा बिगोद स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0न0 1848 रकबा 0.9227 हेक्टेयर, ख.नं. 1852 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, खं.नं. 1853 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, ख.न. 1854 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, ख.नं. 1855 रकबा 0.0486 हेक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.4083 हेक्टेयर होकर प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/24 हिस्सा व सत्तार के पुत्र सदीक का 1/24 वा हिस्वा है सदीक पुत्र सत्तार की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी पुत्र पुत्रिया व पत्नि के हो गयी है उसके 1/24 वां हिस्सा प्रार्थीगण को प्राप्त हो गया है। विपक्षीगण प्रत्येक का राजस्व रेकार्ड अनुसार उनका हिस्सा दर्ज है जिसके बाबत् प्रार्थीगण को कोई आपत्ती नही है। विपक्षीगण प्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से पर काश्त नही करने देने के लिए विवाद करते रहते है जबकि वादग्रस्त जायदाद सामलाती खाते की भूमि होकर प्रार्थीगण को उनके दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण का कुलिया भूमि में 118 वां हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण को हकसर काबिज सह काश्त करने का अधिकार है। विपक्षीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करने से नही रोके।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

विपक्षी, न्यायालय के द्वारा भिजवाये गये नोटिस की पालना में न्यायालय में उपस्थित आये। विपक्षी नं. 5 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। शेष विपक्षीगण अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित आये। विपक्षी नं. 1 से 4 तक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षीगण क्रम 1 से 4 तक के प्रस्तुत जवाब अनुसार वादग्रस्त जायदाद को कासम पिता कादर बक्ष से अय्यूब पिता ईस्माईल व अब्दुल रहमान पिता इब्राहिम ने आधी–आधी क्रय की थी। अय्यूब पुत्र ईस्माईल ने जो आधी जायदाद कम की वह अपने पुत्र मोहम्मद ने जो आधी जायदाद कम की वह अपने पुत्र मोहम्मद युनुस व सत्तार के नाम से क्रय की थी। आधी जमीन अब्दुल रहमान ने कम की थी। गत 40 वर्षों से सत्तार और प्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है। अय्यूब और सत्तार ने करीब 35–40 वर्ष पूर्व पहले से मौखिक बटवाडा कर लिया। 1/2 हिस्से पर अय्यूब व 1/2 हिस्से पर युनुस काबिज चले आ रहे है। आबादी क्षैत्र बिगोद में स्थित मकान पर सत्तार व उसके वारिसान का कब्जा है। अब्दुल सत्तार ने अपना आवासीय मकान धार्मिक कार्यों में भेंट कर दिया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के कागजी खातेदार है। वादग्रस्त जायदाद पर उनका कब्जा नही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त जायदाद के किसी हिस्से पर कब्जा नही है। विगत 40 वर्षों से प्राथीगण का कब्जा नही है। विपक्षीगण का सतत् शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया उचित नही है।

विपक्षी की ओंर से जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् पक्षकारान के अभिभाषकों द्वारा बहस की गयी। प्रार्थीगण के अभिभाषक की और से बहस करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार वादग्रस्त जायदाद में सहखातेदार होकर वादग्रस्त संयुक्त खाते की अविभाज्य सम्पति है। जब तक प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से नही हटाया जाता या उनकी खातेदारी विपक्षीगण खारिज नही करवाते। प्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार काश्त करने का अधिकार है। वादग्रस्त जायदाद के सामलाती खाते में दर्ज रहते प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक के हिस्से अनुसार कब्जे की अवधारणा की जा सकती है। सामलाती खातेदारी भूमि बाबत् एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नही होता है न ही यदि सहखातेदारान में से एक या कुछ खातेदारान का कब्जा है तो यह माना जायेगा की सभी दर्ज खातेदारान का उनके हिस्से अनुसार कब्जा है। सहखातेदान दूसरे सहखातेदारान को काश्त करने से वंचित रख कुलिया भूमि से कृषि लाभ अर्जित नही कर सकते है। विपक्षीगण ने ऐसा कोई पारिवारिक समझोता भी पेश नही किया है जिससे यह साबित हुआ हो कि प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वज सत्तार ने वादग्रस्त जायदाद में अपना हिस्सा छोड़कर उसके बदले में आवासीय जायदाद रखी हो। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण राजस्व रेकार्ड के आधार पर साबित है व कब्जा भी सहखातेदार की हैसियत से स्थापित है। इसलिए सुविधा सन्तुलन भी उनके पक्ष में है यदि प्रार्थीगण के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो विपक्षीगण प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से पर काश्त नही करने देंगे व अकेले कृषि लाभ लेते रहेंगे जिससे प्रार्थीगण को अशोधनीय हानी उठानी पडेगी।

विपक्षीगण के अभिभाषक ने प्रार्थीगण की और से की गयी बहस का प्रतितौर में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का कब्जा ही 30–40 वर्षों से नही है और न ही वे काश्त करते रहे है। उनके हिस्से की कृषि भूमि के बदले में लिए गये मकानात का उपयोग प्रार्थीगण कर रहे है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो दौहरा लाभ उन्हे मिलेगा। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिए कब्जा साबित करवाने की स्थिती में निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते है। वादग्रस्त जायदाद के क्रय करने में प्रार्थीगण या उनके पिता सत्तार का कोई सहयोग नही है। प्रार्थीगण केवल कागजी खातेदार है प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड अनुसार तय हिस्से के खातेदार है। इसलिए उनके कब्जे की अवधारणा की जा सकती है। विपक्षीगण ने ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है या बंटवाडा पेश नही किया जिसमें प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना हक छोडकर उसके बदले में जायदाद

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

ले ली हो। यह विधिक प्रावधान है कि यह स्वामित्व की सम्पति पर एडवर्स पजेशन लागू नही होता है न ही राजस्व रेकार्ड की इन्द्राजों के विपरित अकेले विपक्षीगण का कब्जा माना जा सकता है। विपक्षीगण की आपत्तियां साक्ष्य के आधार पर ही तय की जा सकेगी।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। विपक्षीगण, प्रार्थीगण को मौजा बिगोद प0ह0 बिगोद में स्थित दोनों पक्षों की संयुक्त खातेदारी भूमि जिसमें हिस्सा दर्शाया हुआ होकर ख.नं. 1848 रकबा 0.9227 हेक्टेयर, ख.नं. 1852 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, खं. नं. 1853 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, ख.नं. 1854 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, ख.नं. 1855 रकबा 0.0486 हेक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.4083 हेक्टेयर में प्रार्थीगण के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करने देवे उनके कब्जे काश्त में दखलन्ताजी नही करें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहें।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner